(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

श्रीमती मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1014–तीन/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.07.2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 199/2006–07 अपील

महिला हरदीप कौर पत्नि सुखवीर सिंह
ग्राम खरवाया (चकगढ़ला) तहसील
पोहरी जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– अरूण सिंह पुत्र बलवीर सिंह
2– कमलजीत सिंह पुत्र बसबिंदर सिंह
3– गुरूजीत सिंह पुत्र अमरीक सिंह
मुख्त्यारआम अमरीकसिंह पुत्र
श्रीपाल सिंह सरदार
4– राज सुरेन्द्र कौर पुत्री जसबंतसिंह
सभी निवासी ग्राम खरवाया(चकगढ़ला)
तहसील पोहरी जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(श्री कुँवर सिंह कुशवाह अभिभाषक – आवेदक)
(श्री डी.एस.चौहान अभिभाषक – अनावेदक 2 से 3)
(अनावेदक क–4 सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 01-10- 2015 को पारित)

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 199/2006–07 अपील में पारित आदेश दि. 30.7.08 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार पोहरी के समक्ष म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 190/110 के

अंतर्गत आवेदन देकर मांग की कि ग्राम खरवाया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 3 रकबा 0.95 है., 4 रकबा 0.38 है., 5 रकबा 0.43 है. , 7 रकबा 15 है., 8 रकबा 0.15 है. कुल किता 5 कुल रकबा 2.06 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर उसका 20 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है इसलिये संहिता की धारा 190/110 के अंतर्गत उसे भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो चुके हैं , भूमिस्वामी घोषित कर नामान्तरण किया जावे। तहसीलदार पोहरी ने प्रकरण क्रमांक 1/99-2000/31-46 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 29.6.2000 पारित करके वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का नामान्तरण करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र-1 से 3 ने अनुविभागीय अधिकारी, पोहरी के समक्ष अपील क्रमांक 4/05-05 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 12-3-2007 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 199/2006-07 अपील में पारित आदेश दि. 30.7.08 से अपील स्वीकार की गई एंव दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये तथा अनावेदक क्र 1 से 3 के हक में वादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण करने के निर्देश दिये गये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अनावेदक क्र-4 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि शासकीय अभिलेख में

अनावेदक कं-4 राज सुरेन्द्र कौर पुत्री जसबंतसिंह के नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रही है और इस भूमिस्वामी ने दिनांक 9-3-2000 को पंजीकृत विक्रय पत्र से वादग्रस्त भूमि अनावेदक क्रमांक एक लगायत तीन को विक्रय की है। तहसीलदार पोहरी के प्रकरण क्रमांक 1/99-2000/31-46 में पृष्ठ 7 से 9 पर तहसीलदार पोहरी के न्यायालय में चले अन्य प्रकरण क्रमांक 64/99-2000 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 6-3-2000 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है, जिसके अनुसार तहसीलदार पोहरी ने आवेदक को वादग्रस्त भूमि के खसरे के कालम नंबर 12 में काविज दर्ज करने का आदेश पारित किया है तात्पर्य यह है कि जब तहसीलदार पोहरी के आदेश दिनांक 6-3-2000 से आवेदक खसरे में वादग्रस्त भूमि पर कब्जेदार दर्ज हुई है तहसीलदार पोहरी के प्रकरण क्रमांक 1/99-2000/31-46 में संहिता की धारा 190/110 के आवेदन में आवेदक ने वादग्रस्त भूमि पर पिछले 20 वर्ष से कब्जा चले आने का तथ्य बताकर दावा प्रस्तुत किया है जो उक्त से अप्रमाणित है फिर भी तहसीलदार ने धारा 115/116 के तहत आवेदक को वादग्रस्त भूमि पर पिछले 20 वर्ष से काविज होना मानकर उसके व्दारा संहिता की धारा 190/110 के प्रस्तुत दावे को प्रमाणित मानकर नामान्तरण करने में भूल की है जिसके कारण अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 29.6.2000 निरस्त किया है।

5/ विचार योग्य यह भी है कि संहिता की धारा 190 के अंतर्गत तहसीलदार किसी भूमिस्वामी की भूमि पर अन्य व्यक्ति को सिकमी / मौरूषी कास्तकार घोषित नहीं कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त धारा 115/116 में तहसीलदार व्दारा 20 वर्ष पुराने कब्जे की प्रविष्टि का आदेश भी अधिकारिता-रहित है। अतः अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कं. 199/2006-07

अपील में पारित आदेश दि. 30.7.08 से तहसीलदार के आदेश दिनांक 29.6.2000 को एंव अनुविभागीय अधिकारी, पोहरी के आदेश दिनांक 12-3-2007 को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है। जहां तक विक्रय पत्र पर से नामान्तरण किये जाने/ न किये जाने का प्रश्न है, विक्रय पत्र की बैधता की जांच करने एंव उसे शून्य घोषित करने की शक्तियां राजस्व न्यायालय को नहीं है जिसके कारण अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 199/2006-07 अपील में पारित आदेश दि. 30.7.08 से विक्रय पत्र के आधार पर क्रेतागण का नामान्तरण करने वावत् निर्देश देने में भी त्रृटि नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 199/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.7.08 यथावत रखा जाता है।

(श्रीमती मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर